

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु030-4 (गु0)-उ0 यो0-20-17/2024-1090
प्रेषक,

/पटना, दिनांक-01/03/2024

उज्ज्वल कुमार सिंह, भागधर
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:-

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 330 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ-6 में अंकित लम्बाई (कि०मी०/मी०) एवं स्तम्भ-10 में उन्नयनार्थ तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित अंकित राशि पर योजनावार जिनकी कुल राशि रु० 121092.96800 लाख रुपये (एक हजार दो सौ दस करोड़ बावने लाख छियानवे हजार आठ सौ रुपये) मात्र है, पर पैकेजवार (कुल 330 योजना) प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन बिहार राज्य के विभिन्न जिलों अन्तर्गत 330 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 05 से 15 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तंभ 07 एवं 09 में अंकित कुल राशि 110052.48600 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि रु०-11040.48200 लाख (स्तंभ-08) है इस प्रकार कुल राशि 121092.96800 लाख मात्र है पर विधिवत पैकेजवार (कुल 330 योजना) प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

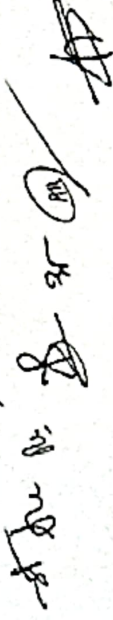
Serial No.	Division	Scheme Serial No.	Block	Road Name	Length in Km	Cost of Upgradation/ Strengthening (in lakh)	Cost of 5-years Maintenance (in lakh)	Administrative fund and Contingency Cost (in lakh)	Total Estimated Cost (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bagaha-I	1	Bagaha-I	Gram Chaitarwa Tola Baharwa Kanta to Gram Lagunsha Tola Ahirbaliya Handh Tak Sadak	2.510	223.570	26.760	8.140	1279.210
		2	Ramnagar	1040-Semrauni to Netahni (VR20)	9.770	903.400	85.210	32.130	
2	Bagaha-I	3	Bagaha-2	Harna Tod to Khajuriya with 1st ILL Bridge 2x18.75m At Ch. 1.5 km and 2nd ILL Bridge 2x18.75m At Ch. 2.23 km	3.120	1297.370	38.510	43.420	1379.300
3	Bagaha-I	4	Ramnagar	Gobardhana To Gohria Kirman Road I DR	12.130	1333.160	117.770	47.160	1498.090
4	Bagaha 2	5	Bhitaha	LO40-Halahi to Bhagawanpur (VR24)	2.100	212.610	23.810	7.680	1471.550
		6	Bhitaha	Khaira Tola Nawaganwan Bridge to Semarban Road (Recind)	11.690	1099.590	108.600	39.260	
5	Betia	7	Bainiya	Betiah Khirniya Ghat to Paterna Ghat	17.750	1277.370	122.560	45.500	1445.400

(Handwritten signatures and marks)

Serial No.	Division	Scheme Serial No.	Block	Road Name	Length in Km	Cost of Upgradation/ Strengthening (in lakh)	Cost of 5 years Maintenance (in lakh)	Administrative fund and Contingency Cost (in lakh)	Total Estimated Cost (in lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	Hilsa	296	Hilsa	Construction of District Road From Hilsa- Roshanbaga Rd to Kawa	1.199	62.667	12.231	2.437	686.536
		297	Hilsa	Balipatana to Nongya Bigha- Near Krishna Bigha	1.600	51.148	10.451	2.662	
		298	Hilsa	Hilsa Taluka Junior Road To Chakchra Khurd Via Chakchra Kala	1.200	61.354	10.538	2.337	
		299	Parthalpur	Parthalpur NH-110 Uttar Chhatapur Moshari to Shankardih Mahadali Tola via PMMGSY Path	3.270	199.237	30.306	7.460	
		300	Parthalpur	L145-L029 Pilich to Dhasimpur (TRACK44)	2.415	131.456	23.676	5.043	
		301	Karaijpur	Diyawan Berhu Road to Bahadi Bigha via Samudayik Dhanwan	0.795	64.412	7.055	2.322	
134	Maraura	302	Panapur	Sajora Dazal To Prithampur Mandir Tak	2.100	187.827	20.307	6.764	975.940
		303	Taraia	PACHOUR - BHATGAI	4.100	340.619	34.945	12.185	
		304	Panapur	PMGSY Dhanuti to Dhanuti Chamehanti bote hse Ratanbhai Tola Awar Dahan Tola tak and Middle School Dhanuti tak Path	1.250	178.494	9.820	6.120	
		305	Panapur	Panapur Pocherra Sakwa Dhanuti Moshrahi (Remg Part)	1.800	156.461	17.306	5.648	
135	Maraura	306	Panapur	Dhanuti Ratanbhai Panapur road	3.400	571.100	45.469	20.039	636.608
136	Maraura	307	Taraia	Kamkela To Dhami	6.700	507.173	56.208	18.310	581.691
137	Rajgir	308	Katrisarai	Construction of road From Katrisarai road To Panchi Darsh Road	1.500	106.411	13.995	3.913	640.315
		309	Girivak	NH-31 to Ghora Katora	0.970	66.487	9.675	2.474	
		310	Den	Den prakhand ke man gaon me paschim PMGSY path se dakshin tak sadak ninnan	1.000	73.278	9.605	2.694	
		311	Rajgir	Viraytan more to CRPF Camp Road to Fatehpur Road in Rajgir Block	1.850	118.859	17.431	4.429	
		312	Den	Dharahara to mayalpur vijaynagar	2.600	179.588	24.830	6.643	
138	Tikari	313	Tikari	Tikari Kunha Road To Jhalind	3.480	226.747	41.354	8.711	1424.254
		314	Konch	L072-Simara 107 To Kamal Bigha (VR72)	3.243	242.964	45.125	9.363	
		315	Konch	L073-Konch To Usaraha (VR73)	3.020	209.750	35.162	7.960	
		316	Konch	Mok Bridge To Branchua	1.950	153.865	23.776	5.723	
		317	Tikari	L075- Chausakhar L084 To Mahadampur (VR75)	1.841	Part A Road- 124.243 Part B Bridge- 254.61	Part A Road- 20.492 Part B Bridge- 1.31	Part A road- 4.704 Part B Bridge- 8.3	
						Total- 378.853	Total- 21.802	Total- 13.004	

2/2/2020

2. मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपशीर्ष 00 103- ग्राम विकास। -0121-मुख्यांगी ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति के घटक के अधीन मुख्य योजना शीर्ष 4515 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ ₹0 का वजट उपबंध प्राप्त है। गिहर सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक- 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका 11 के अनुसार प्रादा वजट के तीन गुणा राशि में से पूर्व के दायित्व के राशि को घटाते हुये नई योजना की स्वीकृति हेतु लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 22.01.2024 को BOS में 1500 करोड़ की अतिरिक्त छूट दी गयी है जिसकी प्रति पत्राचार खण्ड पर रक्षित है, जिसके आलोक में कुल 3000 करोड़ तक की योजना की स्वीकृति दी जा सकती है।
3. मांग संख्या-37 वजट शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष- 04-जिला तथा अन्य सड़कें, लघु शीर्ष -105 रख-रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष-0001 ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय, विषय शीर्ष -2702 अनुरक्षण एवं मरम्मत, विषय कोड-37-3054041050001 से प्राप्त होने वाली राशि से भासित किया जायेगा जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4000 करोड़ ₹0 का वजट उपबंध प्राप्त है। वित्त विभाग के निर्गत संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-11 के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण हेतु उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।
4. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
5. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त कार्य का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
6. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-उ0यो0-20-25/2024 में दिनांक 26.02.2024 को प्राप्त है।
7. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं का पैकेजवार (कुल 330 योजनाओं) प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-01.03.2024 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-उ0यो0-20-17/2024 में अनुमोदन प्राप्त है।
8. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
9. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद, दर एवं मात्रा की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य कार्यक्रम / शीर्ष से अच्छादित नहीं हो।



11. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत निम्नित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
12. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
13. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा विहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्रावकलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
17. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-उ0यो0-20-17/2024 के पृ0-51/प0 पर दिनांक- 29.02.2024 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापक- मु0अ0-4 (मु0)- उ0यो0-20-17/2024 -1090 /पटना, दिनांक-01/03/2024
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री प्र. प. श्री अ. अ. श्री
विशेष सचिव

प्राप्तिक- नुमांश-4 (नु)- सञ्चाल-20-17/2024-1090 / पटना, दिनांक-01/03/2024
 लेखिका- माननीय श्री. ग्रामीण कार्य विभाग के आचार सचिव, अपर मुख्य सचिव / प्रधान
 सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग / स्थित विभाग (आय-यस ग्राम्य) / आंतरिक विभाग
 सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग / संचालित प्रसंगीय आयुक्त / संचालित जिला
 प्राधिकारी / संचालित सम विकास आयुक्त / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार
 ना / अपर सचिव बकाट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग / मुख्य अभियंता- 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6
 ना ग्रामीण कार्य विभाग / संचालित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल / संचालित कार्यपालक
 अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित एवं आईटीओ
 को प्रेषित करने को M/S में अनुरोध करने हेतु एवं आईटीओ नैनजर को विभागीय वेबसाइट
 पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

[illegible]